ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
04/22	53,89,92A 183,188 RTA	हनुमतखेड़ा	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मदनलाल	बनाम	जगदीश प्रसाद वगै0

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
12/01/22	अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53,89,92ए,183,188 आर टी एक्ट विरूद्व प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 8/2/22 को पेश हो।	
8/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के बाद तामील सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी क्र. 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 9/3/22 को पेश हो।	
9/3/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। साक्ष्य वादी उपस्थित नहीं समय चाहा है वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 12/4/22 को पेश हो।	
12/4/22	पत्रावली पेश हुई। ~~वकील~~ प्रतिवादी क्र. 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश कर प्रा. पत्र 09 Rule 7 एवं धारा 151 CPC पेश किया गया। नकल वकील प्रार्थी को दी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र 09 Rule 7 पर No objection किया है। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 09 Rule 7 स्वीकार किया जाता है प्रतिवादी क्र. 1 व 2 के विरुद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही निरस्त की जाती है। पत्रावली वास्ते मूल वाद जवाब दिनांक 10/5/22 को पेश हो।	no objection

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी उप० नहीं है वकील वादी व स्वयं वादी को तीन बार आवाज लगाई गयी बावजूद इन्तजार के न्यायालय मे उप० नहीं है अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो	